खण्ड–26, अंक–10
शुक्रवार, 02 श्रावण, शक संवत्, 1931
(24 जुलाई, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
मा0 स0 को खुलेआम धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	1–5
प्रश्नोत्तर	5–27
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	27
कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन विसंगतियों का निराकरण न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	27–28
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में की जा रही गड़बड़ी तथा पारदर्शिता न बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में बरसात के कारण अतिवृष्टि से सी0सी0 रोड एवं मार्गों के खराब होने पर दैवीय आपदा मद से तत्काल ठीक करवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	28–29
जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में श्री नरेश सिंह बिष्ट, निवासी फतेपुर पर बंजर भूमि पर ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाकर तहसीलदार द्वारा चालान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29
देहरादून के टिहरी विस्थापितों के एम0डी0डी0ए0 कालोनी कांवली रोड में स्थित उजाड़ पार्कों के रख–रखाव के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29–30
जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित 4.047 हेक्टेयर में ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद देहरादून के अन्तर्गत ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान डी0ए0वी0 कॉलेज प्रबंधन द्वारा शिक्षा की आड़ में की जा रही काली कमाई के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31
उत्तराखण्ड प्रदेश में कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केन्द्र के समान ग्रेड पे दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31

विषय	पृष्ठ संख्या

सचिवालय में कार्यरत् होमगार्ड्स को परिचारक के रिक्त पदों (संविदा) पर सम्बद्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ... 32

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में राजकीय इण्टर कॉलेज फरसाड़ी के खण्डहर हो चुके भवन का पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ... 32

जनपद रूद्रप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के भवन निर्माण के कार्य में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना 33

उत्तराखण्ड में संविधान के 77वें संशोधन अधिनियम, 1995 की व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना 33–34

दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2004 को हरिद्वार में पुलिस एवं जनता के मध्य हिंसा एवं तत्पश्चात् हुए संघर्ष एवं उच्छृड्खल व्यवहार की घटनाओं की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद हुसैन जाँच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 34

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) 34–36

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 37

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग ... 37–41

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्यक की माँगों पर चर्चा एवं मतदान 41

अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति (कृमांगत) (स्वीकृत) 41–42

अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास (स्वीकृत) ... 42

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार (स्वीकृत) 42–43

अनुदान संख्या–05, निर्वाचन (स्वीकृत) 43–44

अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (स्वीकृत) ... 44

अनुदान संख्या–25, खाद्य (स्वीकृत) 44–45

अनुदान संख्या–08, आबकारी (स्वीकृत) 45–46

अनुदान संख्या–26, पर्यटन (स्वीकृत) 46

विषय		पृष्ठ संख्या

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (स्वीकृत) ... 46–47

अनुदान संख्या–14, सूचना (स्वीकृत) 47–48

अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य (स्वीकृत) 48

कार्य–मंत्रणा समिति की पुनः सिफारिश (स्वीकृत) 48–49

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 49

राज्य में गाड़–गधेरों पर पैदल पुलों के निर्माण व मरम्मत हेतु बजट प्राविधान न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, मा0स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 49–50

जनपद अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय में वर्षों से कार्यरत् कनिष्ठ प्रवक्ता/विजिटिंग प्रशिक्षक नियत वेतन संविदारत कर्मियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी, मा0स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 50–51

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार दिनांक 25 जुलाई, 2009 के लिए निर्धारित मदों को आज दिनांक 24 जुलाई 2009 के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव 51

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत) 51

अनुदान संख्या–01, विधान सभा ... (स्वीकृत) ... 51–52

अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् ... (स्वीकृत) ... 52

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन ... (स्वीकृत) ... 52–53

अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें ... (स्वीकृत) ... 53

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल ... (स्वीकृत) ... 53–54

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा ... (स्वीकृत) ... 54–55

अनुदान संख्या–23, उद्योग ... (स्वीकृत) ... 55

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास ...	(स्वीकृत) ...	55–56
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009	... पुरःस्थापक एवं पारण	56–60
उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय, पर प्रस्तुत प्रस्ताव ...	(स्वीकृत) ...	60
उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, तहसील विकास नगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय, पर प्रस्तुत प्रस्ताव	(स्वीकृत) ...	60–61
प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...		61
दिनांक 20.07.2009 को श्री सुरेन्द्र राकेश, मा0स0वि0स0 द्वारा औद्योगिक संस्थाओं द्वारा रसायन युक्त जल का भूमि में बोरिंग कराकर डालने के कारण हरिद्वार के गाँवों का पेयजल दूषित होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय		62
उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन, मा0स0वि0स0 आदि सदस्यों द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन		62
टिहरी बाँध निर्माण के कारण बाँध प्रभावित क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्राविधान न करके उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय आदि सदस्यों द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन		62–63
कुवँर प्रणव सिंह "चैम्पियन" मा0स0वि0स0 द्वारा माननीय गन्ना मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय		63–64
श्री किशोर उपाध्याय, मा0स0, वि0स0 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...		64–65
श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल आदि मा0 सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय		65–66
श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 को सदन में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय		66–68

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को सदन में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	68–69
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	69
राष्ट्रगान	70
नत्थियां	71–86

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह राणा
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिवान सिंह
27–श्री नारायण पाल
28–काजी मौ0 निजामुद्दीन
29–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30–श्री प्रकाश पन्त
31–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32–श्री प्रीतम सिंह
33–श्री बलवन्त सिंह भीर्याल
34–श्री प्रेमचन्द महाजन
35–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36–श्री बलवीर सिंह नेगी
37–श्री बिशन सिंह चुफाल
38–श्री बंशीधर भगत
39–श्री बृजमोहन कोटवाल
40–श्री शेर सिंह
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मनोज तिवारी
43–श्री मयूख सिंह
44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
45–श्री मातबर सिंह कण्डारी
46–श्री यशपाल आर्य
47–श्री यशपाल बेनाम
48–चौ0 यशवीर सिंह
49–श्री रणजीत रावत
50–श्री राजकुमार
51–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
53–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55–श्रीमती वीना महराना
56–श्री शहजाद
57–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59–श्री सुरेन्द्र राकेश
60–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61–श्री सुरेश चन्द जैन
62–डा0 हरक सिंह रावत
63–श्री हरभजन सिंह चीमा
64–श्री हरिदास
65–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

मा0स0 को खुलेआम धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाय गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिलक राज बेहड़ जी के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, उनको धमकी दी गई, वह सारा विषय माननीय सदन के सम्मुख आ गया है।

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो सारा विषय सदन के सम्मुख आ गया है और उस पर गम्भीर स्थिति तब पैदा हो गई, जब आज हमने सुबह–सुबह सभी अखबारों में पढ़ा जो न्यायालय से वांछित व्यक्ति है, जिसके खिलाफ अदालत से वांरट जारी हुआ है। वह कल देहरादून के अन्दर प्रेस कांफ्रेंस करता है और जब कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया था कि तीन दिन के अन्दर माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह चुनौती केवल प्रतिपक्ष के विधायकों को ही नहीं है। क्योंकि अगर इस सदन की गरिमा नहीं रहेगी, यह चुनौती केवल विपक्ष के विधायकों को नहीं है बल्कि यह चुनौती इस सदन की मर्यादा और सदन को चुनौती है कि आप यहाँ जो भी करते रहो, हम वह करेंगे, जो हम करना चाहते हैं। इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती है कि एक अपराधी खुलेआम प्रदेश की राजधानी में प्रेस कांफ्रेंस करता हो। तो यह चुनौती इस सदन को और आपकी पीठ को भी है, जिसके द्वारा विनिश्चय दिया गया था, उस विनिश्चिय को भी यह चुनौती है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी और अन्य सदस्यों द्वारा.....।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से कौन से नियम से हम चलें, आप हमसे तो उम्मीद करते हैं कि हम नियमों से चलें, इस सदन के अन्दर जो भी होता है और जो

भी विनिश्चय आता है, सरकार बयान देती है, अगर उसका अनुपालन नहीं होता है, तो यह चुनौती है, हम सबके लिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम सबसे उम्मीद करते हैं कि नियमों से चलें। ये नियम हम ही लोगों ने बनाये हैं, अगर हम ही इसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह सरकार इस सदन के सदस्य की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो यह सरकार क्या करेगी। मान्यवर, यह आपको चुनौती है, हम सबके लिये एक चुनौती है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, कल जब यह सूचना माननीय सदस्यों द्वारा दी गई तो तत्काल मेरे माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई और.....।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि, चूंकि संसदीय कार्य मंत्री इस विषय पर पहले भी वक्तव्य दे चुके हैं। हमारा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर वक्तव्य देना चाहिये। यह चुनौती है यह एक माननीय विधायक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो नेता सदन, इस प्रदेश के मुखिया को सदन में आना चाहिये। जब इस प्रकरण पर सदन बाधित हो रहा हो, इस मुद्दे को लेकर लगातार कई दिनों से हम अपनी माँग कर रहे हों, माननीय मुख्यमंत्री जी यह कैसा व्यवहार सदन के प्रति दिखा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थानीय अभिसूचना इकाई, देहरादून को जनपद पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 23–07–2009 को होटल इन्द्रलोक में अरूण शुक्ला द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन सायं लगभग 20:00 बजे किया जाना है। इस सूचना को आच्छादन हेतु........

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे नम्र शब्दों में निवेदन है कि.....।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य तो आने दीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सदन की गम्भीरता को देखते हुये, विषय की गम्भीरता को देखते हुये, जिसमें सदन को चुनौती दी गई है। इसमें उन्हें सदन में आकर वक्तव्य देना चाहिये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी भी आयेंगे, लेकिन यह ऐसा भी विषय नहीं है कि इसमें मुख्यमंत्री ही वक्तव्य देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय है, बिल्कुल ऐसा ही विषय है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार की तरफ से विधान सभा के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से वक्तव्य आ रहा है तो वह पर्याप्त है। जब कि इस विषय पर सरकार की तरफ से कहा गया कि 3 दिन के अन्दर हम इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करायेंगे। उसके विषय में ज्यों ही हमें जानकारी मिली, हमारी पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने तत्काल इन्द्रलोक होटल में दबिश दी और वर्तमान में सभी अभिसूचना इकाईयों को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिये कार्य सुनिश्चित करायें और जगह–जगह दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी के सम्पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी समाचार पत्रों का वाचन किया होगा, जब मामला सदन की चुनौती का हो, माननीय विधायक की सुरक्षा का हो, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत और नागरिक अभिनन्दन में व्यस्त हों। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है।....... (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मानतीय मुख्यमंत्री जी अगर सदन के प्रति गम्भीर होते तो इतना महत्वपूर्ण विषय जिससे कई दिनों से सदन में माननीय सदस्य अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अगर एक विधायक की सुरक्षा नहीं हो सकती तो इस प्रदेश की आम जनता की क्या सुरक्षा होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय विधायक की सुरक्षा की पूरी गारन्टी सरकार की है, लेकिन ये जो (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अपराधी की सुरक्षा की गारन्टी सरकार ले रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

किसी भी अपराधी की सुरक्षा की कोई गारन्टी सरकार नहीं ले रही है, अपराधी जेल की सीखचों के अंदर जाएंगे। (घोर व्यवधान) श्रीमन्, लगातार दबिश दी जा रही है सारी अभिसूचना इकाईयों को कह दिया गया है। (घोर व्यवधान) प्रेस कांफ्रेन्स नहीं की गयी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता, किसी बात का संज्ञान न लिया जाए। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे। माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम भी "वेल" में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष, डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम "वेल" में पूर्ववत् खड़े होकर जोर-जोर से बात उठाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

अप्रैल, 2008 से किसान कार्ड पर पुनः स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वसूली के कारण

**1–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि किसानों हेतु जारी कृषि कार्ड (सीमा रू0 1.00 लाख से रू0 3.00 लाख तक) पर गत् पांच वर्ष से कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी?

क्या यह सत्य है कि विगत अप्रैल 2008 से किसान कार्ड पर पुनः स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा वसूल की जा रही है? क्या यह सत्य है कि जनकल्याण योजना के क्रियान्वयन में निर्धन लाभार्थियों से शुल्क वसूला जा रहा है?

क्या सरकार लोकहित में कृषि कार्ड पर वसूली जा रही स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त करेगी?

नोट– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो, क्यों?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

जी, हाँ।

शासन की अधिसूचना दिनांक 31.03.2008 द्वारा दिनांक 31.03.2009 तक एवं पुनः अधिसूचना दिनांक 15.07.2009 द्वारा दिनांक 31.03.2010 तक किसान कार्ड पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है।

शासन की अधिसूचना संख्या–406/XXIIV(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 15.07.2009 के द्वारा दिनांक 31.03.2010 तक रू0 3.00 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न

*1–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में बाहरी प्रदेशों की शराब की बिक्री व पीने से हुई मृत्यु एवं दुकानों की नियमित जाँच

*2–श्री गणेश जोशी–

क्या आबकारी मंत्री अवगत है कि प्रदेश के शराब की दुकानों में सस्ते दामों में जो मदिरा बेची जा रही है, वह बाहरी प्रदेशों की मदिरा है?

क्या यह सत्य है कि सस्ते दामों में बेची जाने वाली शराब से कई लोगों की मृत्यु हुयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा शराब की दुकानों की नियमित जाँच की जाती है?

यदि हाँ, तो एक माह में कितनी बार शराब के ठेकों की जाँच की जाती है?

क्या सरकार द्वारा इसके लिए कोई अलग से टीम गठित की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

शराब की दुकानों में बिकने वाली देशी शराब एवं न्यूनतम मूल्य की विदेशी मदिरा (चीप ब्रांड) को प्रदेश में आयात करने की अनुमति नहीं है।

जी नहीं ।

प्रदेश में शराब के सेवन से मृत्यु का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

शराब की दुकानों की नियमित जाँच की जाती है।

प्रदेश स्थित शराब की दुकानों की जाँच निम्न स्तरों पर निम्नानुसार की जाती है:-

1. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल द्वारा:- उपायुक्त, ई0आई0बी0 के निर्देशानुसार।

2. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा:-

(क) जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र की दुकानें-02 माह में एक बार।

(ख) जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर की दुकानें-04 माह में एक बार

3. आबकारी निरीक्षक द्वारा:-

(क) प्रधानावास (आबकारी निरीक्षक का मुख्यालय) के 08 किलोमीटर के अन्तर्गत स्थित दुकानें-01 माह में दो बार

(ख) प्रधानावास (आबकारी निरीक्षक का मुख्यालय) के 08 किलोमीटर के बाहर स्थित दुकानें-01 माह के एक बार।

जी हां, विभाग द्वारा चार स्तरों पर दुकान चैकिंग के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो निम्नवत् हैं:-

1. ई0 आई0 बी0 टीम
2. प्रवर्तन टीम दल
3. जिला आबकारी अधिकारी टीम
4. आबकारी निरीक्षक टीम

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों में लाभ-हानि का विवरण एवं हानि कम करने के प्रयास

*3-डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष, 2007-08 में उत्तराखण्ड में सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों में लाभ हानि का विवरण क्या है?

क्या यह सत्य है कि हानि की स्थिति चिन्ताजनक है?

यदि हाँ, तो इस हानि को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या प्रयास किये गए हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

वित्तीय वर्ष, 2007–08 में उत्तराखण्ड की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की लाभ–हानि की स्थिति निम्नवत् है:–

चीनी मिल	वर्ष 2007–08 में लाभ हानि की स्थिति (लाख रूपये में)
सहकारी क्षेत्र	(–) 7050.82
राजकीय क्षेत्र	(–) 3617.49

जी हाँ।

प्रदेश की सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों को लाभ की स्थिति में लाने हेतु आवश्यक प्रबन्धकीय सुधार किये जा रहे हैं। कुछ चीनी मिलों में सह–विद्युत उत्पादन इकाई लगाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2007 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चयन में मानकों का उल्लंघन पर कार्यवाही

*4–श्री नारायण पाल–

क्या शिक्षा मंत्री भिज्ञ हैं कि वर्ष, 2007 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चयन में मानकों का उल्लंघन कर योग्य शिक्षकों को इस परिधि से बाहर रख कर अन्य शिक्षकों के नाम शामिल किये गये थे?

क्या संस्कृत के लिए जो अलग से नाम भेजे जाने थे वह भी नहीं भेजे गये?

क्या यह सत्य है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण पर जांचोपरान्त विभाग के कोई अधिकारी दोषी पाये गये?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त सभी दोषियों के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई?

यदि हाँ, तो क्या?

नहीं, तो क्यों?

शिक्षा राज्य मंत्री (गोविन्द सिंह बिष्ट)–

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चयन–2007 हेतु भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारित हैं। भारत सरकार के मानकों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति एवं तदोपरान्त

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्तुति की जाती है। उपलब्ध कराई गई संस्तुति के आधार पर चयनित नाम शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

यथापि उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर जाँच अधिकारी नामित किया गया था। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच आख्या शासन को संदर्भित की गई है। जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर परीक्षणोपरान्त प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाली दोषी अधिकारियों, अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी,हरिद्वार,नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। †

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

जांच आख्या के आधार पर शासन द्वारा दोषी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी चीनी मिलों के उत्थान हेतु प्रयास तथा पेराई सत्र 2008–09 में लाभ–हानि का विवरण

*5–श्री नारायण पाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के उत्थान की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं?

वर्ष 2008–09 के पेराई सत्र में चीनी मिलों की लाभ–हानि की स्थिति क्या रही?

चीनी मिलों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

सहकारी चीनी मिलों के उत्थान हेतु आवश्यक प्रबन्धकीय सुधार किये जा रहे हैं। कुछ चीनी मिलों में सह–विद्युत उत्पादन इकाई लगाया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष, 2008–09 में उत्तराखण्ड की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की कुल अनुमानित हानि रू0 1068.41 लाख है।

---

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–71–82 पर)

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष, 2001 से सितम्बर, 2007 तक सेवायें दे चुके 1745 शिक्षा आचार्यों व अनुदेशकों को वर्ष 2008 में हटाये जाने के बाद "शिक्षा मित्र" पद पर समायोजन

*6–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष, 2001 से लेकर दिसम्बर, 2007 तक अपनी सेवायें दे चुके 1745 शिक्षा आचार्यों व अनुदशकों को वर्ष–2008 में शिक्षा गारण्टी केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र बन्द किये जाने के साथ ही हटाये जाने के आदेश दिये गये हैं?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फरवरी, 2008 से संघर्षरत 1745 शिक्षा आचार्यों एवं अनुदेशकों को शिक्षा मित्र पद पर समायोजित किये जाने के लिये क्या निर्णय लिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा मित्र की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। अतः इनके समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में चीनी मिलों के नियंत्रण हेतु गठित गवर्निंग बोर्ड तथा उसका नियंत्रण

*7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों के नियंत्रण हेतु कोई गवर्निंग बोर्ड गठित है?

यदि नहीं, तो प्रदेश की सरकारी/सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रदेश की सरकारी/सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का मार्ग दर्शन तथा नियंत्रण उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स), देहरादून के द्वारा किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2006 को धामंद्यो जनपद अल्मोड़ा में की गई विभिन्न घोषणाओं पर प्रगति

1–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2006 को धामंद्यो जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर जनपद चम्पावत में जूनियर हाईस्कूल चौड़ागूँठ, खीड़ी, दशंलेख एवं जूनियर हाईस्कूल कजिना पूनौली का उच्चीकरण/पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैरोली पाटी का प्रान्तीकरण एवं उच्चीकरण/राजकीय इन्टर कालेज, दिगालीचौड़ का भवन निर्माण एवं बाराकोट में कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु घोषणायें की गयी थी?

यदि हाँ, तो उक्त घोषणाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

विद्यालयों के उच्चीकरण एवं भवन निर्माण का प्रस्ताव/आगणन जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त किये जा रहे हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैरोली के प्रान्तीकरण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। प्रदेश स्तर पर कस्तूरबा गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु कोई योजना संचालित न होने के कारण इस बिन्दु पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये बेरोजगारों की संख्या

2–श्री गणेश जोशी–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है?

क्या यह सत्य है कि इन रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार युवक/युवतियाँ पंजीकृत हैं?

यदि हाँ, तो राज्य गठन के उपरान्त रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने बेरोजगार युवक/युवतियों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराये गये?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश के 24 सेवायोजन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है शेष अन्य कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर कम्प्यूटरीकृत करने की कार्यवाही गतिमान है।

राज्य के सेवायोजन कार्यालयों में वर्तमान में दिनांक 31.05.2009 तक कुल 4,78,639 युवक/युवतियाँ पंजीकृत हैं।

राज्य गठन के उपरान्त सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से 31 मई, 2009 तक 24177 युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष, 2006 से नियमित बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा सम्पन्न न कराये जाने के कारण

3–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि वर्ष, 2006 में नियमित बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो उक्त प्रवेश परीक्षा वर्तमान समय तक सम्पन्न न कराये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार रेगुलर बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

तद्समय निर्धारित की गई परीक्षा संस्था एडसिल, नई दिल्ली द्वारा परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र समय पर वितरित न करने के कारण परीक्षा स्थगित की गई थी।

रेगुलर बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त, 2009 को आयोजित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2008–09 की शिक्षा स्थानान्तरण नीति जारी होने से पूर्व स्थानान्तरित प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की संख्या एवं आधार

4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2008–09 की स्थानान्तरण नीति जारी होने से पूर्व प्रदेश में स्थानान्तरित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की संख्या क्या है।

तथा तीन वर्ष से कम अवधि में स्थानान्तरित शिक्षकों की संख्या क्या है ?

तथा किस नीति के आधार पर इन शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

वर्ष 2008–09 की स्थानान्तरण नीति घोषित होने से पूर्व प्रवक्ता–21, सहायक अध्यापक (एलटी)–51 एवं बेसिक के 04 अर्थात कुल 76 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

तीन वर्ष से कम अवधि में 04 प्रवक्ता, 13 सहायक अध्यापक (एलटी) एवं 02 सहायक अध्यापक (बेसिक) के स्थानान्तरण किये गये हैं।

उच्च स्तरीय अनुमोदनोपरान्त।

जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय तथा जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों का उच्चीकरण

5–श्रीमती आशा–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय मणज, बाबई, बष्टी, त्रियुगीनारायण, कालीमठ, का उच्चीकरण इण्टर स्तर पर तथा जूनियर हाईस्कूल मौंसाल, कुरक्षण, जलई, कन्या हा0 सतेराखाल, काईइ, दशज्यूला, शेरसी का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण की मांग स्थानीय जनता लम्बे समय से करती आ रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र उक्त विद्यालयों के उच्चीकरण पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक उच्चीकरण किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को विभागीय मानकानुसार विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश के शिक्षा विभाग में एल0टी0 विज्ञान, गणित विषय के असंगत संयोजित शिक्षकों की संख्या

6–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में एल0टी0 विज्ञान गणित विषय के कुल कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका विषय संयोजन असंगत है?

क्या सरकार ऐसे शिक्षकों की सभी स्रोतों से नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए सूची उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

43 शिक्षक।

जी हाँ।

सूची संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में असंगत विषय संयोजन में छूट हेतु जारी शासनादेश

7–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में असंगत विषय संयोजन में छूट हेतु कब–कब शासनादेश जारी किये गये हैं?

क्या सरकार उक्त विषयगत शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

शिक्षा विभाग में असंगत विषय संयोजन में छूट हेतु शासनादेश संख्या–147/XXIV–2/2006 दिनांक 07 मार्च 2006 निर्गत किया गया है।

जी हॉ, छायाप्रति संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–83–85 पर)

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–86 पर)

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर में निर्मित स्टेडियम में आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षक आदि की सुविधा

8–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर में (सुदूर ग्रामीण अंचलों के युवाओं में खेल एवं सस्कृति के विकास हेतु) एक स्टेडियम निर्माण किया गया था?

क्या यह सत्य है कि संसाधनों के अभाव में उक्त का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिस कारणवश देहात क्षेत्र के किशोर एवं युवा उसके लाभ से वंचित हो रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्टेडियम को विकसित कर, आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षक आदि की सुविधा उपलब्ध कराएगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हॉ, मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है।

जी नहीं, मिनी स्टेडियम का उपयोग क्षेत्र के खिलाड़ी कर रहे हैं।

प्रशिक्षक आदि की सुविधा आगामी वर्षों में जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर करायी जायगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत नवदीप चिन्ड्रन अकादमी, जू0हा0कमेडी, सेडियाखाल व वि0ख0 एकेश्वर अन्तर्गत राज0उच्च0मा0 विद्यालय सिमारखाल में खेल मैदान निर्माण के सम्बध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक पर की गई कार्यवाही और प्रगति

9–श्रीमती अमृता रावत–

क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत नवदीप चिन्ड्रन अकादमी, जूनियर हाईस्कूल कमेडी, सेडियाखाल में खेल मैदान के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक 633/विधायक /34–युवा कल्याण/2007–08 दिनांक 05.3.2008 तथा विकास खण्ड एकेश्वर के

अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमारखाल में खेल मैदान का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 393/विधायक/34–युवा कल्याण/2008 दिनांक 21.12.2007 पर अब तक की गयी कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पौड़ी गढ़वाल हेतु वर्ष 2008–09 में जिलायोजनान्तर्गत धनराशि प्राविधानित न होने के कारण विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत नवदीप चिन्ड्रन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल कमेडी में क्रीड़ा स्थल निर्माण नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2007–08 में जिला योजना में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण सिमारखाल में क्रीड़ास्थल निर्माण नहीं कराया जा सका।

राज्य में राज0जूनि0 हाईस्कूलों में मानकानुसार प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का जनपदवार विवरण

10–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में जनपदवार, मानकानुसार कुल कितने प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं?

रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद	प्र0अ0के रिक्त पदों की संख्या	स0अ0के रिक्त पदों की संख्या
उत्तरकाशी	74	08
टिहरी	167	50
रूद्रप्रयाग	82	25
चमोली	84	17
पौड़ी	0	133
देहरादून	24	63
हरिद्वार	82	08
ऊधमसिंह नगर	235	35
नैनीताल	219	84
अल्मोड़ा	284	97
बागेश्वर	73	45
पिथौरागढ़	292	68
चम्पावत	86	49
योग–	1702	682

रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में राज0प्राथ0 विद्यालयों में जनपदवार अध्यापकों के रिक्त पद एवं नियुक्ति की प्रक्रिया

11–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जनपदवार अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त चल रहे हैं,

तथा रिक्त पदों पर कब तक अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपदवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है।

जनपद	स0अध्यापक	प्रधानाध्यापक
उत्तरकाशी	54	10
टिहरी	356	45
रूद्रप्रयाग	58	27
चमोली	258	24
पौड़ी	766	325
देहरादून	170	104
हरिद्वार	1026	52
ऊधमसिंहनगर	628	131
नैनीताल	397	253
अल्मोड़ा	792	93
बागेश्वर	159	57
पिथौरागढ़	170	88
चम्पावत	167	27
योग–	5001	1236

वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के 5001 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष 2511 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित है। जबकि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर दिनांक 31.3.2009 तक 993 सहायक अध्यापकों को पदोन्नत किया जा चुका है। साथ ही 1300 सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा दिनांक 23.8.2009 को आयोजित की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्गम स्थानों में स्थित विद्यालयों में वांछित शिक्षकों की तैनाती हेतु नियम व प्रक्रिया का क्रियान्वयन तथा स्थानान्तरित शिक्षकों की जनपदवार संख्या

12—श्री नारायण पाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दुर्गम स्थानों में स्थित विद्यालयों में वांछित शिक्षकों की तैनाती के लिए बनाये गये नियमों व प्रक्रिया का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो पिछले सत्र से अब तक जनपद वार कितने शिक्षकों को स्थानान्तरित किया गया?

क्या स्थानान्तरित शिक्षक स्थानापन्न हैं?

यदि हाँ, तो कितने?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

जी हॉ।

वर्ष 2008—09 में गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल में कुल 1748 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत् है:—

जनपद	बेसिक	एल0टी0	प्रवक्ता	कुल
1	2	3	4	6
		गढ़वाल मण्डल		
उत्तरकाशी	40	24	07	71
टिहरी	68	47	45	160
पौड़ी	143	74	37	254
चमोली	75	30	18	123
रूद्रप्रयाग	17	15	12	44
हरिद्वार	41	09	03	53
देहरादून	129	57	08	194
मण्डल स्तर से	39	91	57	187
योग	552	347	187	1086
		कुमायूँ मण्डल		
ऊधमसिंहनगर	08	02	02	12
नैनीताल	58	22	13	93
चम्पावत	23	17	07	47
पिथौरागढ़	176	33	21	230

1	2	3	4	5
अल्मोड़ा	49	42	18	109
बागेश्वर	63	16	04	83
मण्डल स्तर पर	18	49	21	88
योग	395	181	86	662
महायोग	947	528	273	1748

जी नहीं।

नियमित शिक्षक हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी स्थित राजकीय इन्टर कॉलेज मनेरी को दुर्गम श्रेणी की सूची में पुनः शामिल करने पर विचार

13–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय इण्टर कॉलेज मनेरी उत्तरकाशी शैक्षिक सत्र 2006–07 तक दुर्गम श्रेणी में था?

यदि हाँ, तो मनेरी जलाशय के कारण विद्यालय परिसर में पाला, कोहरे व अत्यधिक शीत के कारण विद्यालय समय में परिवर्तन के आदेश किये गये थे?

क्या सरकार उक्त कॉलेज को दुर्गम श्रेणी की सूची में पूर्व की भांति लाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

जी हॉ। विद्यालय में शरदकालीन ऋतु में पाला पड़ने के कारण प्रातः 10.00 बजे विद्यालय में छात्राओं की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा 01 माह की अवधि हेतु विद्यालय समय 10.00 बजे के स्थान पर 10.30 बजे से प्रारम्भ किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा राजकीय इण्टर कालेज मनेरी, उत्तरकाशी को सुगम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

उत्तरकाशी अन्तर्गत गंगोत्री में स्वीकृत पदों से कम अध्यापकों की तैनाती वाले राज0उ0मा0विद्यालय तथा राज्य इण्टरमीडिएट विद्यालय

14–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री जनपद उत्तरकाशी में वे कौन से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं जिनमें स्वीकृत पदों से कम अध्यापक तैनात है?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत 11 राजकीय इण्टर कालेज, 01 राजकीय कन्या इण्टर कालेज, 09 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 02 राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें सहायक अध्यापक एल0टी0 के 218 एवं प्रवक्ताओं के 113 सृजित पदों के सापेक्ष 27 सहायक अध्यापक एल0टी0 तथा 41 प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं।

जी हॉ।

पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में राजकीय तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण

15–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय तदर्थ शिक्षक महासंघ (शिक्षा बन्धु) विनियमितीकरण की एक सूत्रीय माँग के लिये आन्दोलनरत हैं?

क्या सरकार तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं। इस प्रकार का कोई महासंघ अस्तित्व में नहीं है, किन्तु शिक्षा बन्धुओं का विनियमितीकरण संबंधी माँग पत्र प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमादेवी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2006 के क्रम में तदर्थ शिक्षा बन्धुओं का विनियमितीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या तथा पूर्ण कालिक नियुक्ति का प्रस्ताव

16–श्री नारायण पाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा विभाग में बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवनों के नव निर्माण, पुनः निर्माण व रख रखाव हेतु प्रत्येक विकास खण्डों में संविदा पर अवर अभियन्ता नियुक्त हैं?

यदि हाँ, तो राज्य में इस समय शिक्षा विभाग में कुल कितने अवर अभियन्ता संविदा पर कार्यरत हैं?

क्या शासन में इन शिक्षा विभाग में कार्यरत अवर अभियंताओं को निर्माण इकाई गठन कर इन्हें प्राथमिकता पूर्ण कालिक नियुक्ति देना प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 58 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य, ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। ग्राम शिक्षा समितियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी पर्यवेक्षक (अवर अभियन्ता) रखे जाने की व्यवस्था है।

मंत्रि मण्डलीय शिक्षा उपसमिति द्वारा पत्राचार बी0टी0सी0 को राजकीय सेवाओं हेतु मान्य मानते हुए शासनादेश में संशोधन

17–श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मंत्रि मण्डलीय शिक्षा उपसमिति ने पत्राचार बी0टी0सी0 को राजकीय सेवाओं हेतु मान्य मानते हुए दिनांक 18.02.2009 को शासनादेश

संख्या–895/XXIV–(1)/2006–38/2005, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 के प्रस्तर 4 में अंकित पैरा हटाने की संस्तुति की है?

यदि हाँ, तो क्या प्रश्नगत शासनादेश में संशोधन हेतु संस्तुति के अनुसार शासनादेश जारी कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो कब तक शासनादेश जारी किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी नहीं।

मा0 मंत्रि मण्डलीय शिक्षा उपसमिति के निर्णय के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण को मा0 मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश में विगत तीन वर्षों में सरकारी/सहकारी चीनी मिलों की रिकवरी का मासिक विवरण

18–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी/सहकारी चीनी मिलों के चीनी का रिकवरी का प्रतिशत मिलवार तथा माहवार क्या रहा है?

क्या सरकार विगत तीन वर्षों के चीनी मिलों के रिकवरी प्रतिशत का मिलवार मासिक विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के चीनी का रिकवरी का प्रतिशत मिलवार तथा माहवार विवरण निम्नवत रहा है।

बाजपुर

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	7.86	7.54	7.46
दिस0	9.24	9.04	9.39
जन0	9.69	9.68	9.41
फर0	9.86	9.90	8.66
मार्च	10.12	10.50	–
अप्रैल	8.64	–	–
औसत	9.50	9.71	9.25

गदरपुर

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	7.29	–	7.93
दिस0	8.88	8.69	9.28
जन0	9.21	9.79	9.08
फर0	9.28	10.04	10.20
मार्च	9.76	10.56	–
अप्रैल	8.30	–	–
औसत	9.07	9.74	9.09

सितारगंज

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	7.36	–	7.50
दिस0	8.67	8.20	8.76
जन0	8.96	8.95	8.78
फर0	9.09	9.14	7.76
मार्च	9.33	9.11	–
अप्रैल	8.62	6.62	–
औसत	8.90	8.75	8.61

नादेही

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	8.27	–	7.40
दिस0	9.28	8.73	9.12
जन0	9.64	9.40	9.31
फर0	9.03	9.56	9.58
मार्च	9.71	9.84	–
अप्रैल	8.75	–	–
मई	7.96	–	–
औसत	9.15	9.40	9.07

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की चीनी का रिकवरी का प्रतिशत मिलवार तथा माहवार विवरण निम्नवत रहा है।

डोईवाला

माह	2006—07	2007—08	2008—09
नवम्बर	7.37	—	—
दिस0	9.08	8.88	8.48
जन0	9.29	9.24	8.69
फर0	9.26	9.28	8.64
मार्च	9.09	9.08	8.58
अप्रैल	7.70	8.66	—
औसत	8.81	9.07	8.61

किच्छा

माह	2006—07	2007—08	2008—09
नवम्बर	8.10	—	8.07
दिस0	9.43	9.31	9.94
जन0	9.69	9.84	9.52
फर0	9.87	10.00	9.18
मार्च	10.08	10.16	—
अप्रैल	9.80	10.22	—
मई	9.26	—	—
औसत	9.70	9.86	9.50

प्रदेश में विगत तीन वर्षो में सरकारी व सहकारी चीनी मिलों को शीरे की रिकवरी का मासिक विवरण

19—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सहकारी व सरकारी चीनी मिलों का शीरे की रिकवरी का प्रतिशत क्या है?

क्या सरकार विगत तीन वर्षों में शीरे की रिकवरी की प्रतिशत मिलवार मासिक विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री मदन कौशिक—

प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के शीरे की रिकवरी का प्रतिशत मिलवार तथा माहवार विवरण निम्नवत रहा है—

बाजपुर

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	4.97	5.53	5.13
दिस0	4.51	4.61	4.62
जन0	4.44	4.29	4.26
फर0	4.55	4.43	4.21
मार्च	4.51	4.40	—
अप्रैल	5.48	—	—
औसत	4.63	4.44	4.49

गदरपुर

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	4.87	—	5.07
दिस0	4.90	4.58	4.62
जन0	4.86	4.89	4.73
फर0	4.75	4.69	4.40
मार्च	4.72	4.67	—
अप्रैल	4.78	—	—
औसत	4.81	4.72	4.62

सितारगंज

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	4.56	—	5.10
दिस0	4.66	4.93	5.21
जन0	4.80	4.97	4.86
फर0	4.79	5.00	5.07
मार्च	4.71	5.00	—
अप्रैल	5.80	6.35	—
औसत	4.89	5.07	5.03

नादेही

माह	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4
नवम्बर	4.69	—	4.65
दिस0	4.71	4.64	4.64

1	2	3	4
जन0	4.52	4.57	4.33
फर0	4.70	4.61	4.25
मार्च	4.33	5.02	—
अप्रैल	5.17	—	—
मई	6.05	—	—
औसत	4.77	4.71	4.50

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के शीरे की रिकवरी का प्रतिशत मिलवार तथा माहवार विवरण निम्नवत रहा है–

डोईवाला

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	4.59	—	—
दिस0	4.78	4.81	4.85
जन0	4.83	4.83	4.78
फर0	4.74	4.85	4.35
मार्च	4.72	5.01	4.46
अप्रैल	5.20	5.26	—
औसत	4.91	4.93	4.82

किच्छा

माह	2006–07	2007–08	2008–09
नवम्बर	4.21	—	4.06
दिस0	4.46	4.74	4.43
जन0	4.45	4.81	4.46
फर0	4.30	5.03	3.40
मार्च	4.48	4.72	—
अप्रैल	4.91	4.77	—
मई	4.63	—	—
औसत	4.82	4.24	4.63

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी , यह महत्वपूर्ण है और बहुत ही गम्भीर घटना हुई है। (माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा निर्दलीय माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम ''वेल'' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री मनोज तिवारी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, हाजी तस्लीम अहमद, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री रणजीत सिंह रावत, कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन', श्रीमती अमृता रावत, श्रीमती आशा नौटियाल तथा श्री गोपाल सिंह राणा की कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। चूँकि कल 25 जुलाई, 2009 को प्रश्न काल नहीं होगा और सूचनाएं भी नहीं ली जायेंगी। अतः सूचनाओं का आज अन्तिम दिन होने के कारण मैं नियम–300 की सभी सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ और सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाऐं।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन विसंगतियों का निराकरण न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोज तिवारी–

[मान्यवर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों की वेतन विसंगति का निराकरण करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश सं0–1405/5(34)/1978, दिनांक 21 मई 1980 को जारी किया गया था और कुमाऊँ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया जिसका कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को लाभ अभी तक नहीं दिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह मामला पुनः उत्तराखण्ड शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है लेकिन उत्तराखण्ड शासन द्वारा अभी

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक उक्त शासनादेश के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं होने से इसका लाभ प्रयोगशाला सहायकों को नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण इन प्रयोगशाला सहायकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण की माँग करता हूँ।]

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में की जा रही गड़बड़ी तथा पारदर्शिता न बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशोर उपाध्याय–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में की जा रही गड़बड़ी तथा पारदर्शिता न बरते जाने से जनवरी, 2003 से चतुर्थ श्रेणी के पद पर आउट सोर्सिंग के आधार पर कार्यरत 06 व्यक्तियों में से 05 व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया। एक व्यक्ति जो कुलपति के साथ काम कर रहा है, उसे नियमित नियुक्ति दी गयी। 28 फरवरी, 2009 को साक्षात्कार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कुलपति, शासन में विभागीय अधिकारियों के नजदीकी तथा कुलसचिव के व्यक्तियों को रख लिया गया। अब लिपिक वर्ग में नियुक्ति के लिए भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।

06 वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित न करके उन्हें बाहर कर अपने–अपने व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जा रहा है। इससे ये कर्मचारी और इनका परिवार आयु सीमा पार कर चुकने के कारण बेरोजगार होने से भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। ये कर्मचारी भी हल्द्वानी स्थित डा0 सुशीला तिवारी अस्पताल के कर्मचारियों की भाँति किसी अनहोनी घटना को अन्जाम दे सकते हैं।

अतः 06 वर्ष से विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को, जो संविदा पर आउट सोर्सिंग से कार्य कर रहे हैं, नियमित किये जाने की इस बेरोजगारी से जुड़े अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर, मैं, सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में बरसात के कारण अतिवृष्टि से सी0सी0 रोड एवं मार्गों के खराब होने पर दैवीय आपदा मद से तत्काल ठीक करवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद का ब्लाक भगवानपुर नदी नालों से घिरा हुआ है। इसका 70 प्रतिशत भाग घाड़ क्षेत्र से जाना जाता है जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

प्रति वर्ष बरसात में गाँव के मुख्यमार्ग खराब हो जाते हैं, अधिकतम गांव का आवागमन रूक जाता है। इस वर्ष की बरसात से काफी गांव के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन मार्गों की जाँच कराकर जनहित में ठीक करवाया जाना अति आवश्यक हैं। ब्लॉक भगवानपुर के गाँव की जनता बहुत परेशान एवं लाचार हो जाती है।

अतः इस अति लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कर सरकार से कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में श्री नरेश सिंह बिष्ट, निवासी फतेहपुर पर बंजर भूमि पर ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाकर तहसीलदार द्वारा चालान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

[मान्यवर, नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी, पो0 ओ0 फतेहपुर निवासी श्री नरेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री पदम सिंह बिष्ट द्वारा अपनी बंजर भूमि पर समतलीकरण का कार्य ट्रैक्टर मंगा कर मजदूरों के माध्यम से कराया जा रहा था। खेत में पुराने मकान का मलवा, झाड़ी, पेडों की जड़ तथा रोड़ी निकल रही थी जिसे मजदूरों द्वारा एकत्र कर ट्राली में डाला जा रहा था, तभी तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा इस कार्य को अवैध खनन मान कर पुलिस बुला कर मजदूरों को कार्य स्थल से भगा दिया तथा ट्रैक्टर का चालान कर दिया गया। 10 दिन अपने कब्जे में रखने के बाद कोर्ट के माध्यम से छुड़वाया गया तथा मुकदमा कायम कर दिया गया।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से नियम–300 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

देहरादून के टिहरी विस्थापितों के एम0डी0डी0ए0 कालोनी कांवली रोड में स्थित उजाड़ पार्कों के रखरखाव के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*हाजी तस्लीम अहमद–

[मान्यवर, टिहरी विस्थापितों की एम0डी0डी0ए0 कालोनी कांवली रोड में रहने वाले परिवारों के बच्चों को कालोनी में बने दो छोटे–छोटे पार्कों के उजाड़ होने एवं उसमें फैली गंदगी के कारण उनमें खेलने से वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे उनका शारीरिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पर रहा है। इस सम्बन्ध में दो–तीन वर्ष पूर्व पार्कों को सुव्यवस्थित करने हेतु रू0 20,000/– स्वीकृत हुए थे, परन्तु वह धनराशि उन पार्कों को व्यवस्थित करने हेतु शासन द्वारा व्यय नहीं की गयी। कालोनी के मध्य

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

बने इन दो छोटे–छोटे पार्कों में गंदगी के कारण सुअर एवं अन्य जानवर गन्दगी फैलाते रहते हैं। कालोनी वासियों द्वारा अपनी इन समस्याओं को लेकर लम्बे समय से अपनी माँग विभिन्न स्तर पर प्रस्तुत की जा चुकी है। किन्तु शासन द्वारा इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण इनमें गम्भीर आक्रोश है और वे कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अति लोक महत्व की सूचना पर मैं नियम–300 के अन्तर्गत आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित 4.047 हेक्टेयर भूमि में ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश अग्रवाल–

[मान्यवर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में वर्तमान समय में 4.047 हेक्टेयर भूमि में शहर का कूड़ा–कचरा निस्तारित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के तमाम निवासियों की ओर से इस ट्रेचिंग ग्राउन्ड को शहर से दूर हटाने के लिए दिनाँक 24.06.2008 को धरना–प्रदर्शन का नोटिस जिलाधिकारी को दिया गया, जिसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री, नगर प्रमुख, नगर विकास, मुख्य नगर अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा रायपुर थाना को दी गई और दिनाँक 29.06.2008 को सहस्त्रधारा रोड पर जबरदस्त धरना दिया तथा सड़कें जाम कर विरोध प्रकट किया गया। दिनाँक 30.06.08 को उप जिलाधिकारी धरना–प्रदर्शन स्थल पर आये और इस कूड़ा घर को वहाँ से हटाने का आश्वासन दिया। बाद में दिनाँक 8 जुलाई, 2008 को शहरी विकास मंत्रीं से एक प्रतिनिधिमण्डल इस बारे में मिला। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत शीशमबाड़ा पछुवादून में 8.323 हेक्टेयर भूमि ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु आवंटित हुई है। इस योजना का क्रियान्वयन दिसम्बर, 2009 तक किया जाना है। शहर के बीच से यह ट्रेचिंग ग्राउण्ड हटाया जाना बहुत आवश्यक हैं। डांडा लखौंड की 4.047 हेक्टेयर भूमि के इस ट्रेचिंग ग्राउण्ड हो हटाये जाने के उपरान्त इसमें देहरादून शहर का एक मॉडल पार्क विकसित करने की जन आकांक्षा है। जिससे इस पार्क में बच्चों के मनोरंजन, पेड़–पौधों की सुन्दर वाटिका तथा लोगों के सैर–सपाटे एवं मनोरंजन के लिए स्थान विकसित हो सके। इससे उचित और सुव्यवस्थित जगह शहर में उपलब्ध नहीं हो सकती है। अतः माननीय सदन के माध्यम से इस ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थल को मॉडल पार्क के रूप में विकसित करने के इस अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जन मानस से जुडे प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान डी0ए0वी0 कॉलेज प्रबन्धन द्वारा शिक्षा की आड़ में की जा रही काली कमाई के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

[मान्यवर, देहरादून जनपद का ख्याति प्राप्त कॉलेज डी0ए0वी0, पी0जी0 कॉलेज, जिसको कानपुर स्थित कार्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, में विगत कई दिनों से हड़ताल चल रही है। जहाँ एक ओर छात्र/छात्रायें प्रवेश के लिये भाग दौड़ कर रहे हैं, वहीं प्रबन्धन की मनमानी के कारण कॉलेज को बन्द किया गया है। जैसा कि विदित है कि डी0ए0वी0 एवं डी0बी0एस0 कॉलेज की सारी जमीन श्री पूर्ण सिंह नेगी द्वारा दान दी गई थी। किन्तु संज्ञान में आया है कि कॉलेज प्रबन्धन, कानपुर द्वारा कॉलेज की अधिकांश जमीन को खुर्द–बुर्द किया जा चुका है। जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है और छात्र व समाजसेवी आन्दोलित हैं।

दूनवासियों का एक सपना था कि आम आदमी के लिये शिक्षा सुलभ हो। इसके लिये धार्मिक लोगों ने हैसियत की हद से बाहर जाकर भी योगदान किया। जितने भी दान–दाताओं ने डी0ए0वी0 कॉलेज, देहरादून को सम्पत्ति या पैसा दिया था, वह डी0ए0वी0 कॉलेज, देहरादून के लिये दिया था। डी0ए0वी0 ट्रस्ट द्वारा दूनवासियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। कॉलेज की जमीन को खुर्द–बुर्द कर शिक्षा की आड़ में काली कमाई की जा रही है।

अतः इस सन्दर्भ में मैं चाहूँगा कि उपरोक्त प्रकरण पर सदन में विस्तृत चर्चा की जाय।]

उत्तराखण्ड प्रदेश में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केन्द्र के समान ग्रेड पे दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणजीत रावत–

[माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड प्रदेश में कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। अन्य सभी कार्मिकों को केन्द्र सरकार के समान वेतन दिया गया है, जब कि केन्द्र सरकार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रूपये 1800 ग्रेड पे दिया जा रहा है। किन्तु प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मात्र 1300 रूपये का ग्रेड पे ही दिया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये चतुर्थ श्रेणियों के कार्मिकों के साथ न्याय दिलाने हेतु लोक महत्व के इस विषय पर नियम–300 के अन्तर्गत कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

सचिवालय में कार्यरत् होमगार्ड्स को परिचारक के रिक्त पदों (संविदा) पर सम्बद्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

महोदय, सादर आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहूँगा कि देवभूमि के पृथक राज्य सृजन के उपरान्त, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की नितांत कमी के दृष्टिगत, सचिवालय के कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु होमगार्ड्स के जवानों को सचिवालय परिचारकों के रिक्त पदों के दायित्व के निर्वहन हेतु, सचिवालय में तैनाती प्रदान कर दी गयी थी, परन्तु कार्यरत होमगार्ड जवानों को सचिवालय में समायोजित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्यरत होमगार्ड्स में से अधिकतर अनुसेवक के पद हेतु निर्धारित अर्हता, जैसे शैक्षिक योग्यता से भी अधिक शैक्षिक योग्यता, एवं कम्प्यूटर टाईपिंग में दक्षता रखते हैं। अतः लोकहित में यह उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तराखण्ड सचिवालय में परिचारक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित वेतन पर होमगार्ड जवानों को सम्बद्ध किए जाने हेतु सरकार आवश्यक निर्देश जारी करे। अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने की माँग करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में राजकीय इण्टर कॉलेज फरसाड़ी के खण्डहर हो चुके भवन का पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती अमृता रावत–

[मान्यवर, मुझे माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीरोखाल, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज फरसाड़ी का भवन विगत चार वर्षों से खण्डहर के रूप में तब्दील हो रहा है। जिसके कारण विद्यालय के संचालन पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना है कि उक्त विद्यालय के भवन के पुनःनिर्माण/जीर्णोद्धार करने हेतु आगणन शासन स्तर पर लम्बित है और यदि शीघ्र ही विद्यालय भवन का पुनःनिर्माण/जीर्णोद्धार नहीं किया जाता है तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है और जान माल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही नहीं बल्कि विद्यालय की सम्पूर्ण शिक्षण व्यवस्था भी ठप्प हो चुकी है। मेरा मान्यवर से आग्रह है कि इस प्रकरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय और विद्यालय भवन के पुनःनिर्माण/जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाय। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन मूलरूप में संलग्न है।]

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

जनपद रूद्रप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के भवन निर्माण के कार्य में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा–

[मान्यवर, मैं जनपद रूद्रप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के भवन निर्माण में विलम्ब के कारण हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वर्ष 2006 में स्वीकृत इस भवन निर्माण कार्य में बड़ी लेट लतीफी से कार्य हो रहा है। जिससे यहाँ पर आने वाले गरीब बीमार लोगों को बैड व स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कतें आ रही हैं। यह स्थान यात्रा मार्ग तथा पर्यटकों से भी जुडा है।

मान्यवर, विकासखण्ड एवं तहसील मुख्यालय पर बन रहे इस अस्पताल भवन का समय पर निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज करा रहे लोगों को अगस्त्यमुनि या रूद्रप्रयाग जाना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था को कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश देते हुए, जनता की सुविधा हेतु सामुदायिक भवन को शीघ्र संचालित किया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

उत्तराखण्ड में संविधान के 77 वें संशोधन अधिनियम, 1995 की व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*गोपाल सिंह राणा–

[मान्यवर, राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–1454/कार्मिक–2/2001, संख्या–1455/कार्मिक–2/2001, दिनाँक 31.8.2001, शासनादेश संख्या 269/कार्मिक–2/2004, दिनाँक 17.2.2004 एवं शासनादेश संख्या–392/कार्मिक–2/2004, दिनाँक 9.3.2004 के निर्गत शासनादेश के अनुसार आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए संविधान के 77वें संशोधन 1995 की व्यवस्थानुसार रोस्टर बनाकर नियुक्ति एवं पदोन्नति का प्रावधान कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आरक्षित श्रेणी के किसी पद पर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसे अग्रेनीत करने व इन नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का भी

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

प्रावधान है परन्तु उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग में वित्त सेवाओं के वेतनमान 18400–22400 में स्वीकृत कुल तीन पदों में से आरक्षित पद के सापेक्ष एक कार्मिक विशेष को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा नियमों के विरूद्ध सामान्य श्रेणी के एक अधिकारी को वर्ष 2002 में इस पद पर नियुक्ति कर दिया गया, जबकि विभाग में आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी भी उपलब्ध थे, परन्तु उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार आरक्षण नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के सेवारत कार्मिकों के साथ आरक्षण के नाम पर धोखा एवं खिलवाड़ किया जा रहा है। जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अपने हितों के प्रति असुरक्षा व सरकार के प्रति अविश्वास एवं आरक्षण नीति पर संदेह उत्पन्न हो गया है, साथ ही इस वर्ग के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अतः मैं इस गंभीर प्रकरण में उच्चस्तरीय जाँच करा कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध संगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सरकार से माँग करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

दिनाँक 20 एवं 21 अप्रैल, 2004 को हरिद्वार में पुलिस एवं जनता के मध्य हिंसा एवं तत्पश्चात् हुए संघर्ष एवं उच्छृड्खल व्यवहार की घटनाओं की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद हुसैन जाँच आयोग की रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से दिनाँक 20 एवं 21 अप्रैल, 2004 को हरिद्वार में पुलिस एवं जनता के मध्य हिंसा एवं तत्पश्चात् हुए संघर्ष एवं उच्छ्डख्ल व्यवहार की घटनाओं की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद हुसैन जाँच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 23 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनाँक 24 जुलाई, 2009 से दिनाँक 25 जुलाई, 2009 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की हैः–

दिनाँक 24 जुलाई, 2009 (शुक्रवार)

अनुदान सं0 11 दिनाँक 23 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान की माँग पर चर्चा (क्रमागत) और मतदान।

13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

16 श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

25 खाद्य विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

08 आबकारी विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

14 सूचना विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

22 लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।

दिनांक 25 जुलाई, 2009 (शनिवार)

अनुदान सं0	01	विधान सभा की अनुदान पर माँग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर माँग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	03	मंत्रि–परिषद की अनुदान पर माँग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर माँग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर माँग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	–
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	–
	21	ऊर्जा विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	–
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	–
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग से सम्बन्धित विभाग की अनुदान पर माँग चर्चा और मतदान	–
		उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।	–

सरकारी संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं चर्चाः–

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाये। (15 मिनट)

प्रस्ताव

काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी एवं अर्धसरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाये।"(आधा घण्टा)

1. नियम–54 के अन्तर्गत सूचना

"उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा। (एक घण्टा)

2. "टिहरी बांध निर्माण के कारण बॉध प्रभावित क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्राविधान न करके उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा। (एक घण्टा)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्य "वेल" में पूर्ववत् खड़े थे और एक साथ अपनी–अपनी बात कह रहे थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत (1) श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री शहजाद, (2) श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास, (3) श्री महेन्द्र सिंह माहरा (4) हाजी तस्लीम अहमद (5) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा श्री तिलक राज बेहड़ (6) श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री करन मेहरा तथा श्री मनोज तिवारी (7) श्री किशोर उपाध्याय (8) श्री यशपाल बेनाम तथा (9) श्री गोपाल सिंह राणा की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से (1) श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री शहजाद, (2) श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास, (3) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा श्री तिलक राज बेहड़ (4) श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री करन मेहरा तथा श्री मनोज तिवारी (5) श्री किशोर उपाध्याय तथा (6) श्री गोपाल सिंह राणा की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन तथा माननीय सदस्य श्री शहजाद का नाम पुकारा गया, किन्तु माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग.

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा की प्राप्त हुई है, जो राजधानी देहरादून के बसन्त विहार इलाके में ओ0एन0जी0सी0 के महाप्रबन्धक के घर में घुस कर डाका डालने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री राजेश जुवाँठा तथा श्री रणजीत सिंह रावत की दिनाँक 23 जुलाई, 2009 को राजधानी के बसन्त विहार इलाके में पाँच हथियार बन्द बदमाशों द्वारा दिन–दहाड़े ओ0एन0जी0सी0 के जनरल मैनेजर के घर पर धावा बोल कर लाखों की नकदी व जेवरात लूट लिये जाने के सम्बन्ध में है। दोनों सूचनाओं का विषय एक ही है। चूँकि ये सूचनाऐं नियम–310 की परिधि में नहीं आती हैं, इसलिए मैं इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

तीसरी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला की है, जो डी0ए0वी0 महाविद्यालय में दिनाँक 18–07–2009 को ए0बी0वी0पी0 के छात्रों द्वारा ताला डालने के सम्बन्ध में है। इसी सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी ने नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी है, वह स्वीकार की गयी है। दोनों सूचनाओं का विषय एक होने के कारण मैं इस सूचना को भी अस्वीकार कर रहा हूँ।

मैं सदन की कार्यवाही को 03:00 बजे तक के लिऐ स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, आज सुबह से हम सब लोग इस सदन में गहन चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि आज सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली हो गई है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। माननीय नेता सदन के कहने के बावजूद आज तक वह 506 का अपराधी, बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिये, बाकी चोरी–डकैती वालों को तो इन्होंने छूट दे रखी है कि 12:30 बजे दिन में जाओ और चोरी–डकैती करो। देहरादून के बसन्त बिहार क्षेत्र में चोरी–डकैती आम बात हो गई है। कभी किसी को फर्जी एनकाउंटर में मार देते हैं।..

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 11 (1) तथा माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य ने बोलना प्रारम्भ नहीं किया।)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज इस प्रदेश में पुलिस लापरवाह हो गई है, नेता सदन ने यह बात कही कि तीन दिन में इसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

(प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, बेहड़ जी तराई क्षेत्र के सम्मानित विधायक है, दबंग विधायक हैं और इस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, क्या वह दबंग भी हैं ? (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, दबंगई तो सरकार कर रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सिर्फ माननीय जोत सिंह गुनसोला को बोलने की अनुमति दी है, उनके अतिरिक्त जो माननीय सदस्यगण बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य ने बोलना प्रारम्भ नहीं किया और अपने–अपने स्थान पर खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(अपने स्थान पर खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार ने कह दिया कि तीन दिन में हम गिरफ्तार करेंगे और पूरे राज्य की पुलिस उसके लिये दबिश दे रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिये, 506 के मामले को इतना बड़ा बना दिया कि जिसमें सदन न चलने पाये। यह बहुत गम्भीर विषय है, मान्यवर, आपका संरक्षण सभी माननीय सदस्यों को चाहिये, पूरे सदन को संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सत्ता पक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य भी अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा सदन आपका संरक्षण चाहता है, आखिर सदन की कार्यवाही इस प्रकार से तो चलेगी नहीं। सरकार ने कहा था कि हम तीन दिन में गिरफ्तार करेंगे और आज केवल एक दिन हुआ है तथा उसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रकार की बात गलत है, केवल एक बात को लेकर यह सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। इस पर माननीय सदस्यों को पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 03:20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात को सुना–अनसुना किया जा रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे। माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम भी "वेल" में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर मसला है, सम्मानित विधायक से जुड़ा हुआ मसला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता, किसी बात का संज्ञान न लिया जाय। (घोर व्यवधान) जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता, किसी बात का संज्ञान न लिया जाय और जब तक मैं किसी को अनुमति नहीं देता बोलने की, कोई संज्ञान न लिया जाय। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम "वेल" में पूर्ववत् खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात उठाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपने सदस्यों को निर्देशित करें कि व्यवस्था बनायें। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। (माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े रहे।) श्री गुनसोला जी, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं इसलिए मैं मदें ले रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक की माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 21223902 हजार (दो हजार एक सौ बाईस करोड़ उन्तालीस लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

पेयजल एवं श्रम मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 , जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3021379 हजार (तीन सौ दो करोड़ तेरह लाख उन्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3021379 हजार (तीन सौ दो करोड़ तेरह लाख उन्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 347809 हजार (चौतीस करोड़ अठहत्तर लाख नौ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखे।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वोले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 347809 हजार (चौतीस करोड़ अठहत्तर लाख नौ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–5, निर्वाचन

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 57270 हजार (पाँच करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 57270 हजार (पाँच करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य पूर्ववत् "वेल" में अपनी बात को जोर-जोर से कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या-6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 2915242 हजार (दो सौ इक्यानबे करोड़ बावन लाख बयालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

("वेल" पर खड़े माननीय सदस्यों द्वारा पत्र आदि फाड़े गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वार स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 2915242 हजार (दो सौ इक्यानबे करोड़ बावन लाख बयालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25, खाद्य

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25,खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 156634 हजार (पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ अपनी बात कहते हुए अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे जिस पर माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य और केदार सिंह रावत जी द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया एवं विधान सभा के मार्शल, डिप्टी मार्शल तथा रक्षकों द्वारा सुरक्षा घेरा बनाया गया। जिसके पश्चात् माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ वापस "वेल" में चले गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 156634 हजार (पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–08, आबकारी

*आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 51359 हजार (पांच करोड़ तेरह लाख उनसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 51359 हजार (पांच करोड़ तेरह लाख उनसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन

पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 549968 हजार (चौवन करोड़ निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 549968 हजार (चौवन करोड़ निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

*चिकित्सा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3178536 हजार (तीन सौ सत्रह करोड़ पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3178536 हजार (तीन सौ सत्रह करोड़ पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–14, सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 168169 हजार (सोलह करोड़ इक्यासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 168169 हजार (सोलह करोड़ इक्यासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम "वेल" में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)-

मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 3693853 (तीन सौ उनहत्तर करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 3693853 (तीन सौ उनहत्तर करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-मंत्रणा समिति की पुनः सिफारिश

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 24 जुलाई, 2009 की बैठक में सिफारिश की, कि दिनाँक 25 जुलाई, 2009 के उपवेशन के कार्यक्रम में सरकारी संकल्प के पश्चात निम्नलिखित प्रस्ताव को सम्मिलित कर लिया जाय।

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून तहसील विकासनगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद, काजी निजामुद्दीन, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री हरिदास, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 10 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं चूँकि आज सूचनाओं का अंतिम दिवस होने के कारण मैं इसमें से श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद, काजी निजामुद्दीन, श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री हरिदास, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य में गाड़–गधेरों पर पैदल पुलों के निर्माण व मरम्मत हेतु बजट प्राविधान न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, मा0 स0, वि0 स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डीआरडीए) में वर्ष 1988–89 के पूर्व संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एनआरईपी) के अन्तर्गत गाड़–गधेरों के छोटे–छोटे पुलों आदि के निर्माण की बजट व्यवस्था थी। वर्ष 1988–89 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को समाप्त करते हुए जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना में भी 20 प्रतिशत धनराशि से पर्वतीय ग्रामीण गाड़–गधेरों में छोटे–छोटे पैदल पुल निर्मित किये जा सकते थे। वर्ष 2002–03 से जवाहर रोजगार योजना को

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संशोधित करके सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित की गयी। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिए बजट व्यवस्था की गयी थी। जिसमें ग्राम पंचायतों को कुल आबंटित बजट का 50 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को कुल आबंटित बजट का 30 प्रतिशत तथा शेष 20 प्रतिशत बजट जिला पंचायतों के द्वारा योजना के मार्ग–निर्देशिका के अनुरूप व्यय किये जाने की अनुमति दी गयी थी। त्रिस्तरीय पंचायतों को आंबटित बजट का 15 प्रतिशत बजट गाड़–गधेरों में पैदल छोटे–छोटे पुलों के निर्माण में व्यय की जा सकती थी न कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के द्वारा।

भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को समाप्त करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनाँक 6 फरवरी, 2006 से राज्य के तीन जनपद टिहरी, चमोली तथा चम्पावत; दिनाँक 1 अप्रैल 2007 से जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर तथा दिनाँक 1 अप्रैल 2008 से राज्य के शेष जनपदों (देहरादून, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा नैनीताल) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ की गयी। योजना के अन्तर्गत अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 के प्रस्तर–1 में अनुमन्य कार्यों में पर्वतीय क्षेत्र के गाड़–गधेरों में पैदल छोटे–छोटे पुलों के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है। अतः इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के गाड़–गधेरों में छोटे–छोटे पुलों का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

वर्तमान में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डीआरडीए) में पर्वतीय क्षेत्र के गाड़–गधेरों में छोटे–छोटे पुलों के निर्माण हेतु कोई भी योजना/बजट व्यवस्था नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्र के गधेरों में छोटे–छोटे पुलों के निर्माण विधायक निधि, सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते हैं।]

जनपद अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय में वर्षों से कार्यरत् कनिष्ठ प्रवक्ता/विजिटिंग प्रशिक्षिक नियत वेतन, संविदारत कर्मियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी, मा0स0,वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा में श्रीमती चंचल तिवारी को वर्ष, 1998 में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर प्रशिक्षक कथक नृत्य/सितार के पद पर आबद्ध किया गया था। महाविद्यालय में सृजित पदों पर नियमित नियुक्तियाँ न हो पाने के कारण कार्यहित में पुनः वर्ष, 2007 में श्रीमती तिवारी को कनिष्ठ प्रवक्ता–कथक नृत्य (अंश कालिक) के रूप में आबद्ध किया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया। उक्त के अतिरिक्त दो अन्य कार्मिक श्री ह्दयेश जोशी एवं कु0 पूजा उपाध्याय, को संविदा के आधार पर क्रमशः प्रवक्ता सितार एवं कनिष्ठ प्रवक्ता भरतनाट्यम हेतु वर्ष 2006 से आबद्ध किया गया है। तब से उक्त कार्मिकों से कार्य लिया जा रहा है।

2–अवगत कराना है कि, वर्तमान समय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य वाद में तदर्थ वेतन, दैनिक वेतन, संविदा आदि पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के दृष्टिगत मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मार्च, 2008 में उप समिति गठित की गयी। उप समिति द्वारा इस प्रकार के कार्यरत कार्मिकों को विनियमित किये जाने आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। उक्त समिति को विभाग से सम्बन्धित सूचना प्रेषित की जा चुकी है।]

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम ''वेल'' में पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार दिनाँक 25 जुलाई, 2009 के लिए निर्धारित मदों को आज दिनाँक 24 जुलाई, 2009 के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार दिनाँक 25 जुलाई, 2009 के लिए निर्धारित मदों को आज दिनाँक 24 जुलाई, 2009 के लिए स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य–मंत्री द्वारा जो यह प्रस्ताव सदन में रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–01, विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01,

विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 105045 हजार (दस करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 105045 हजार (दस करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद्

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 201129 हजार (बीस करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 201129 हजार (बीस करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 582680 हजार (अठ्ठावन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 582680 हजार (अठ्ठावन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07, वित्त,कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 13408710 हजार (एक हजार तीन सौ चालीस करोड़ सत्तासी लाख दस हजार मात्र) से अनधिक स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 13408710 हजार (एक हजार तीन सौ चालीस करोड़ सत्तासी लाख दस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि

की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3267897 हजार (तीन सौ छब्बीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3267897 हजार (तीन सौ छब्बीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल श्री सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3322251 हजार (तीन सौ बत्तीस करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 3322251 हजार (तीन सौ बत्तीस करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में पूर्ववत् खड़े थे और एक साथ अपनी-अपनी बात कह रहे थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार एक माननीय विधायक की सुरक्षा न कर सके, ऐसी सरकार पर हमें विश्वास नहीं है कि वो प्रदेश की सत्ता चला सके। इसलिए मैं और मेरा दल सदन से वाक आउट कर रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

अनुदान संख्या-23, उद्योग

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 371477 हजार (सैंतीस करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

यदि कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 371477 हजार (सैंतीस करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-29, औद्यानिक विकास

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 487942 हजार (अड़तालीस करोड़ उन्यासी लाख बयालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 487942 हजार (अड़तालीस करोड़ उन्यासी लाख बयालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(प्रतियाँ वितरित की गयी।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 के खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या वर्ष 2009)

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2009 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2009–10 के लिए ₹147373753000 का दिया जाना

2–उत्तराखण्ड राज्य में संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2009 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 2 वर्ष 2009) की अनुसूची के स्तम्भ–7 से 10 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके 147373753000 रुपये (चौदह हजार सात सौ सैंतीस करोड़ सैंतीस लाख तिरपन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रूपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	139721	7981	147702
		पूँजी	5000	0	5000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	43745	43745
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	301695	0	301695
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	774018	237851	1011869
		पूँजी	50000	0	50000
05–	निर्वाचन	राजस्व	278657	0	278657
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	3492581	12491	3505072
		पूँजी	362238	0	362238
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	19649776	15349090	34998866
		पूँजी	1493517	13115808	14609325
08–	आबकारी	राजस्व	68657	0	68657
		पूँजी	1000	0	1000
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	48471	48471
		पूँजी	0	3500	3500
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	4713530	0	4713530
		पूँजी	260002	0	260002
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	28637964	0	28637964
		पूँजी	375692	0	375692
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	5214459	0	5214459
		पूँजी	426265	0	426265
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6235683	0	6235683
		पूँजी	10000	0	10000
14–	सूचना	राजस्व	219066	0	219066
		पूँजी	5000	0	5000

1	2		3		
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	3086219	0	3086219
		पूँजी	76003	0	76003
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	461324	0	461324
		पूँजी	26500	0	26500
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2595677	0	2595677
		पूँजी	13702	0	13702
18–	सहकारिता	राजस्व	184987	0	184987
		पूँजी	40201	0	40201
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	3420523	0	3420523
		पूँजी	427001	0	427001
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2462278	0	2462278
		पूँजी	4744609	0	4744609
21–	ऊर्जा	राजस्व	85312	0	85312
		पूँजी	4846176	0	4846176
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3670894	40249	3711143
		पूँजी	5645003	0	5645003
23–	उद्योग	राजस्व	400960	0	400960
		पूँजी	168993	0	168993
24–	परिवहन	राजस्व	194619	0	194619
		पूँजी	355105	0	355105
25–	खाद्य	राजस्व	231966	0	231966
		पूँजी	5005	0	5005
26–	पर्यटन	राजस्व	186475	0	186475
		पूँजी	542167	0	542167
27–	वन	राजस्व	2996893	0	2996893
		पूँजी	136005	0	136005
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	813664	0	813664
		पूँजी	45200	0	45200
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	749040	3350	752390
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	3817915	0	3817915
		पूँजी	2035333	0	2035333
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	783244	0	783244
		पूँजी	547703	0	547703
	योग–	राजस्व	95867797	15743228	111611025
		पूँजी	22643420	13119308	35762728
	महायोग		118511217	28862536	147373753

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 के खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय; पर प्रस्तुत प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन का सुनिश्चित मत है कि "उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, तहसील विकास नगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय, पर प्रस्तुत प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, तहसील विकास नगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सह सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, तहसील विकास नगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने नियम–105 के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्याः 114/वि0स0/394/संसदीय/2009, दिनाँक 23 जून, 2009 तथा 150/वि0स0/394/संसदीय/2009, दिनाँक 15 जुलाई, 2009 के क्रम में इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009, हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 तथा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति का कार्यकाल आगामी एक माह तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधान सभा की अधिसूचना संख्याः 114/वि0स0/394/संसदीय/2009, दिनाँक 23 जून, 2009 तथा 150/वि0स0/394/संसदीय/2009, दिनाँक 15 जुलाई, 2009 के क्रम में इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009, हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 तथा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति का कार्यकाल आगामी एक माह तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दिनाँक 20–07–2009 को श्री सुरेन्द्र राकेश, वि0स0 द्वारा औद्योगिक संस्थानों द्वारा रसायन युक्त जल का भूमि में बोरिंग कराकर डालने के कारण हरिद्वार के गाँवों का पेयजल दूषित होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दिनाँक 20–07–2009 को माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी द्वारा, औद्योगिक संस्थानों द्वारा रसायन युक्त जल को भूमि में बोरिंग कराकर डालने के कारण हरिद्वार जनपद में आस–पास के गांवों का पेयजल दूषित होने के संबंध में दी गई सूचना और पीठ से दी गई व्यवस्था के क्रम में माननीय संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री जी से सूचना प्राप्त हो गई है। जिसके अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग से कराई गई जाँच रिपोर्ट में जाँच के परिणामों में संदर्भित औद्योगिक क्षेत्रों के समीप विभाग द्वारा अनुरक्षित की जा रही पेयजल योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता ठीक है और सभी पैरामीटर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हैं।

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन, मा0स0, वि0स0 आदि सदस्यों द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा को मैं स्थगित कर रहा हूँ।

टिहरी बांध निर्माण के कारण बांध प्रभावित क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्रावधान न करके, उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय आदि सदस्यों द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

टिहरी बांध निर्माण के कारण बांध प्रभावित क्षेत्र के लिये पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्रावधान न करके,

उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा को मैं स्थगित कर रहा हूँ।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", मा0स0वि0 द्वारा माननीय गन्ना मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", माननीय सदस्य ने अपने पत्र दिनाँक 6 दिसम्बर, 2008 द्वारा माननीय गन्ना मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी। उपर्युक्त सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि वर्ष 2007 के दिनाँक 21 नवम्बर, 2007 के उपवेशन की कार्यसूची में मद संख्या–11 के दौरान श्री मदन कौशिक, गन्ना मंत्री द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि वर्ष 2007–08 के पेराई सत्र हेतु गन्ने की फसल का भुगतान मूल्य रूपये 127 प्रति क्विंटल (मिल गेट पर) साधारण प्रजाति हेतु तथा अगेती प्रजाति हेतु रूपये 132 प्रति क्विंटल (मिल गेट पर) की दर से निश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश से दो रूपया प्रति क्विंटल ज्यादा किया जायेगा। लेकिन उनके द्वारा इस ओर कोई शासनादेश तत्काल जारी नहीं किया गया, बल्कि गन्ना किसानों को भुगतान रूपये 110 प्रति क्विंटल की दर से किया गया। उक्त वर्ष के लिये किसानों को जारी पर्ची पर गन्ने की प्रजाति तथा दर एवं भुगतान के वर्ष का भी उल्लेख नहीं किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण पर माननीय गन्ना मंत्री द्वारा अपने पत्र दिनाँक 26 फरवरी, 2009 द्वारा अवगत कराया गया कि पेराई सत्र 2007–08 के लिये शासनादेश संख्या 17/2008/2–28/2006, दिनाँक 21–01–2008 द्वारा अगेती प्रजाति हेतु रूपये 132 प्रति क्विंटल एवं सामान्य प्रजाति हेतु रूपये 127 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य दर निर्धारित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–204(एम0एस0)/ 2008 एवं रिट याचिका संख्या–205(एम0एस0)/2008 दायर की गयी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णयादेश दिनाँक 31–03–2008 में उक्त शासनादेश द्वारा घोषित गन्ना मूल्य की दर के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया है उक्त निर्णयादेश के विरूद्ध राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 संख्या–10516–10517 दायर की गई, जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनाँक 15.05.2008 को अन्तरिम आदेश पारित किया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के अन्तरिम आदेशानुसार चीनी मिलें रूपये 110.00 प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य का भुगतान करें। तद्क्रम में शासनादेश संख्या–गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग/114,

दिनाँक 04.06.2008 द्वारा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों कों भी निर्देशित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण ही चीनी मिलों में पर्ची में केन प्राईस पेबिल एज पर डिसीजन ऑफ दि कोर्ट लिखा होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश के अनुसार निम्नवत् कहा है–

"...दैट फार द क्रशिंग इयर 2007–08 द रेट फिक्स्ड बाई द लखनऊ बेंच आफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट शैल बी एप्लीकेबल एण्ड द मेन्यूफेक्चर्स शैल पे द एमाउन्ट पेबल एट द रेट फिक्स्ड बाई द लखनऊ बेंच आफ्टर एडजस्टमेन्ट आफ एमाउन्ट आलरेडी पेड इन दैट रिगार्ड। द बैलेन्स, इफ एनी, शैल बी पेड विदइन ए पीरियड आफ फोर वीक्स...."

तदनुसार कुछ चीनी मिलों द्वारा घोषित मूल्य का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, वरन् माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किया गया। संदर्भित एस0एल0पी0 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अन्तिम निर्णय पारित होने पर ही पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उक्त पेराई सत्र के लिए किसानों को जारी पर्ची पर गन्ने की प्रजाति एवं भुगतान के वर्ष का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार किसी भी बिन्दु पर माननीय सदन की अवमानना नहीं की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सदस्य की उक्त सूचना तथा माननीय गन्ना मंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले का न तो सदन से कोई सम्बन्ध होता है और न ही सदन में विचाराधीन मामले का माननीय न्यायालय से। अतः तकनीकी दृष्टि से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में सदन अथवा माननीय सदस्य के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन या सदन का अवमान के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय, मा0स0, वि0स0 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा दिनाँक 24 फरवरी, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनाँक 24 फरवरी, 2009 द्वारा यह अभिसूचित किया गया था कि दिनाँक 19 फरवरी, 2009 को उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अंजनीसैण–पुनाणु मिसिंग लिंक, खण्डोगी–अन्देणी–राजकीय इण्टर कालेज भरेटीधार, काण्डीखाल–टिपरी पुनः निर्माण एवं सुधार तथा काण्डांडागी–मरोड़ा–खस्तल मोटर मार्ग के शिलान्यास कार्यक्रमों की कोई

सूचना नहीं दी गयी तथा समाचार पत्रों आदि में भी उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में चली आ रही परम्परानुसार जिलाधिकारी टिहरी ने अपने पत्र दिनाँक 06 मई, 2009 द्वारा सूचित किया कि जिला कार्यालय एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, टिहरी के पत्रांक मैमो/25एम0जी0, दिनाँक 17 फरवरी, 2009 द्वारा क्षेत्रीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी को कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। साथ ही साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी उक्त कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या–243/XXXI(13)/G/08–39(2)/2008 दिनाँक 19 जून, 2008 द्वारा राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से सम्बन्धित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में प्रोटोकाल से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को जारी किये गये हैं। माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी के आधार पर, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा माननीय विधायक को उपलब्ध करायी गयी थी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी कार्यक्रम प्रचारित किया गया था। साथ ही शिलापटों पर कार्यक्रमों की अध्यक्षता में माननीय विधायक का नाम अंकित है। इससे यह आभास नहीं होता है कि कार्यक्रमों में माननीय विधायक की अनदेखी की गयी है।

अतः तथ्यों के आलोक में मैं, प्रश्नगत सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल आदि मा0 सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा एवं श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनाँक 24 फरवरी, 2009 को संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा एवं श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनाँक 24 फरवरी, 2009 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि दिनाँक 15 फरवरी, 2009 को उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किये गये,

जिसकी कोई सूचना माननीय सदस्यों को नहीं दी गयी। माननीय सदस्यों के अनुसार यह विशेषाधिकारों के साथ–साथ सीधे–सीधे पीठ के निदेशों के उल्लंघन का भी प्रकरण है जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा एवं श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र दिनाँक 01 जून, 2009 द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या–5060/मा0मु0घो0–सीडीसी/2008–09, दिनाँक 12 मई, 2009 द्वारा सूचित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा दिनाँक 15 फरवरी, 2009 को जनपद अल्मोड़ा में भ्रमण की सूचना पत्र संख्या–3050/बारह–13 2008–09, दिनाँक 13 फरवरी, 2009 द्वारा जनपद के समस्त विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या–243/XXXI(13)/G/08–39(2)/2008 दिनाँक 19 जून, 2008 द्वारा राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में प्रोटोकाल से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को जारी किये गये हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा जी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी से स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों की जानकारी जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई थीं। साथ ही आख्या से यह भी स्पष्ट है कि जनपद के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की अध्यक्षता सम्बन्धित क्षेत्र के माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित था जिस कारण विधायकगणों के नाम शिलापट् में सम्मिलित किये गये। उक्त के आलोक में कहीं भी ऐसा आभास नहीं होता है कि इन कार्यक्रमों में माननीय विधायकों की अनदेखी की गयी हो। अतः मैं प्रश्नगत प्रकरण को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनाँक 20 दिसम्बर, 2008 को सदन में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा दिनाँक 20–12–2008 को सदन में औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि ''प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में निदेश दिये

हैं कि पुलिस अधिकारियों के आचरण एवं कृत्यों तथा ज्यादातियों के बारे में शिकायतों को सुनने के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर अलग–अलग पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इन निर्देशों के पालन में शासन द्वारा दो जिला शिकायत प्राधिकरणों का गठन भी कर दिया गया था परन्तु राज्य में जो पुलिस अधिनियम बनाया गया है उसमें जिला स्तरीय प्राधिकरण की व्यवस्था न होने के कारण इन्हें समाप्त कर दिया गया। इससे जहाँ उच्चतम न्यायालय के निर्देशो का उल्लंघन हुआ है वहीं संविधान के अनुच्छेद–141 का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए आबद्धकर है। अतः औचित्य के इस प्रश्न पर चर्चा और विनिश्चय की माँग श्री चौहान द्वारा की गयी थी। इस सम्बन्ध में दिनाँक 20.12.2008 को सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन के निर्देश दिये गये थे। इन प्राधिकरणों में जिला स्तर पर गठित पुलिस से सम्बन्धित उत्पीड़न की शिकायत जिला पुलिस प्राधिकरण में तथा राज्य स्तर पर राज्य पुलिस प्राधिकरण में सुने जाने के निर्देश थे। वर्तमान में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 को अधिनियमित किया जा चुका है और इसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड छोटा राज्य है तथा इस राज्य का बृहद क्षेत्र राजस्व पुलिस में आता है। इसलिए इसमें 13 अलग–अलग पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठन करने का औचित्य नहीं पाया गया, क्योंकि राज्य के पास अपने सीमित साधन हैं तथा पुलिस के पास जो शिकायत आती है उनकी संख्या भी सीमित है। इसलिए राज्य में जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया गया है उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के लिए है। इस प्रकरण में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जहाँ तक प्रकाश सिंह बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में एक समिति का गठन सम्पूर्ण व्यवस्था के अनुश्रवण तथा पुनरीक्षण के लिए किया गया है यह समिति राज्यों के द्वारा बनायी गई पुलिस शिकायत प्राधिकरण की समीक्षा करके माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगी और इस प्रकार प्राधिकरण के गठन का प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रश्नगत विषय पर चर्चा किये जांने का औचित्य नहीं है। उठाये गये औचित्य के उपर्युक्त प्रश्न पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था। शासन के पत्र दिनाँक 12 फरवरी, 2009 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त जानकारी के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रिट याचिका संख्या 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य

बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित माननीय थामस कमेटी के समक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से भी अवगत कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय थामस कमेटी के समक्ष रखे गये पक्ष में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति, विशिष्ट परिस्थिति तथा पुलिस कर्मियों के विरूद्ध शिकायतों की संख्या को देखते हुए जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरणों का गठन उपयुक्त नहीं समझा गया।

चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करने हेतु स्वयं ही माननीय थामस कमेटी का गठन किया जिसके समक्ष राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष सुतथ्यतया रख दिया गया है। इस सम्बन्ध में औचित्य का कोई प्रश्न बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री मुन्ना सिंह चौहान तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनाँक 27 फरवरी, 2009 को सदन में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा दिनाँक 27–02–2009 को सदन में औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि प्रदेश सरकार ने उधार लेने के लिए बाण्ड जारी किये हैं जब कि भारत का संविधान के अनुच्छेद–293 में यह प्राविधानित है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से उस सीमा तक ही ऋण लिये जा सकते हैं जो सीमा विधान मण्डल निर्धारित करें और चूँकि विधान मण्डल में एतद् विषयक कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही ऋण की सीमा का निर्धारण विधान मण्डल द्वारा किया गया है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने हेतु बाण्ड जारी किये जाने से संवैधानिक विसंगति पैदा हो गयी है।

उपर्युक्त सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद–293 में उल्लिखित है कि इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, राज्य का विधान मण्डल समय–समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसे सीमाओं के भीतर यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाय, प्रतिभूति देने तक है। इससे स्पष्ट है कि राज्य का विधान मण्डल ऐसी कोई सीमा विधि द्वारा नियत करता है, कानून बनाता है और उधार लेने की सीमाओं के भीतर कोई निर्धारण करता

है तो उस स्थिति पर सरकार उसके ही आधार पर निर्देशित होगी और अगर ऐसी नही है तो दूसरा उपबन्ध है कि अगर राज्य को कोई उधार लेना पड़ता है तो इसके लिए भारत सरकार निर्धारित करती है कि कितना ऋण उसको लेना है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2008–09 के लिए भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित बाजार ऋण है वह एक हजार दस दशमलव उनहत्तर करोड़ निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड द्वारा नौ सौ सोलह दशमलव उनहत्तर करोड़ ऋण लिया गया है। इस प्रकार सरकार अभी भी चौरानबे करोड़ रूपये उधार ले सकती है परन्तु सरकार ने इस ऋण को लेने का निर्णय नहीं लिया है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रकार कहीं भी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। औचित्य के उपर्युक्त प्रश्न का निर्णय सुरक्षित रखा गया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य हित में विधि सम्मत तथा नियमों के अधीन विकास योजनाओं के उद्देश्य से ऋण लिये जाते हैं जिसकी एक सीमा होती है। यह भी स्पष्ट है कि भारत द्वारा अनुमोदित बाजार ऋण के अधीन ही राज्य सरकार द्वारा ऋण लिये जाते हैं और यह राज्य हित में है। भारत का संविधान के अनुच्छेद–293 (1) के प्राविधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि आय–व्ययक सम्बन्धी विनियोग प्रस्तुत करते समय यदि सार्वजनिक क्षेत्र से लिये जाने वाले ऋण की सीमा का भी उल्लेख हो तो उक्त अनुच्छेद के प्राविधानों की पूर्ति होती परिलक्षित होती है। चूँकि राज्य हित में सार्वजनिक क्षेत्र से लिये जा रहे ऋण में कोई कदाशयता परिलक्षित नहीं होती है अतः श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(सदन का उपवेशन 4 बजकर 24 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून, महेश चन्द्र,

दिनांकः 24 जुलाई, 2009 सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिऐ तारांकित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–9 पर)

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(1)XXXIV–4/2009

देहरादून: दिनांक: 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या 194 (1)/XXXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(2)XXIV–4/2009

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या 194 (2)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(3)XXIV–4/2009

देहरादून: दिनांक: 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (3)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(4)XXIV–4/2009

देहरादून: दिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (4)/XXIV–4/2009 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विंद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(5)XXIV–4/2009

देहरादून: दिनांक: 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (5)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(6)XXIV–4/2009

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई,. 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (6)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(7)XXIV–4/2009

देहरादूनःदिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (7)/XXIV–4/2009 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(8)XXIV–4/2009

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (8)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर नगर की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग-4

सं0 194(9)XXIV-4/2009

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314-40/छ:अ(01)/2007-08 दिनांक 01-06-2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार-2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या 194 (9)/XXIV-4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(10)XXIV–4/2009

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर शो0मू0/1314–40/छ:अ(01)/2007–08 दिनांक 01–06–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम राज्य चयन समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। जिस कारण से शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (10)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(11)XXIV–4/2009

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

श्री नन्द नन्दन प्रसाद पाण्डे, अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर द्वारा शासनादेश संख्या 167/XXIV–4/2007 दिनांक 09–05–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु अध्यापकों के नाम शासन को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को विलम्ब से प्रेषित किया गया, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण श्री नन्द नन्दन प्रसाद पाण्डे, अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (11)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति श्री एन0एन0पी0 पाण्डे की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. श्री नन्द नन्दन प्रसाद पाण्डे, अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल
4. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–4

सं0 194(12)XXIV–4/2009

देहरादून: दिनांक: 10 जुलाई, 2009

कार्यालप ज्ञाप

तत्कालीन सम्बन्धित सहायक निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर द्वारा शासनादेश 167/XXIV–4/2007 दिनांक 09–05–2007 के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार–2007 हेतु संस्कृत अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई। परिणाम स्वरूप राज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2007 हेतु संस्कृत अध्यापकों का प्रस्ताव मानकानुसार शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण संस्कृत अध्यापकों के प्रस्ताव मानकानुसार शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये जा सके, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्कालीन सहायक निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली--2003 के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(डा0 राकेश कुमार)

सचिव।

संख्या 194 (12)/XXIV–4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त की एक प्रति तत्कालीन तत्कालीन सहायक निदेशक एस0सी0ई0 आर0टी0 नरेन्द्रनगर की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में चस्पा करें एवं इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 को प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, विद्यालीय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)

अपर सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिऐ अतारांकित प्रश्न संख्या–06 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–14 पर)

गढ़वाल मण्डल में विज्ञान/गणित विषय के असंगत विषयधारी अध्यापकों की सूचना

	अध्यापक का नाम/पदनाम	विषय	विद्यालय का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री जयवीर सिंह लिगंवाल,स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 जामलाखाल पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
2	श्री संजीव डिमरी, स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 देवलगढ़ पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
3	श्री मान सिंह कोहली स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 कोट पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
4	श्री सुरेन्द्र लाल मुयाल स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 मौजखाल पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
5	श्री मनोज उनियाल, स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 सबधरखाल पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
6	श्री योगेश कुमार स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 बनचूरी पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
7	कु0 अनुपमा धनशैला स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 लैन्सडाऊन पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
8	श्री सत्यपाल सिंह राणा स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 सिद्धखाल पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
9	श्री पातीराम स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 रोहिड़ा चमोली	चमोली गढ़वाल
10	श्री सुरेश चन्द्र स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 सलियाणा चमोली	चमोली गढ़वाल
11	श्री कृष्ण पुरोहित स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 मुन्दोली चमोली	चमोली गढ़वाल
12	श्री दलपत सिंह स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 सिलगी चमोली	चमोली गढ़वाल
13	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 रडुवा चादनीखाल, चमोली	चमोली गढ़वाल

1	2	3	4	5
14	श्री शिशुपाल सिंह फरस्वाण, स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 गडोरा चमोली	चमोली गढ़वाल
15	श्री राधाकृष्ण कोठारी स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 कनखुल चमोली	चमोली गढ़वाल
16	श्री हरेन्द्र मलिक स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 नैलखन्सर चमोली	चमोली गढ़वाल
17	श्री रमेश सिंह कठैत स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 मेलखेत चमोली	चमोली गढ़वाल
18	श्री रामअवध चौहान स0आ	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 बुरा चमोली	चमोली गढ़वाल
19	श्री त्रिभुवन चन्द स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 देवलकोट चमोली	चमोली गढ़वाल
20	श्री उत्तम सिंह चौधरी स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 जवाड़ी रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
21	श्री कुलदीप सिंह स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 सौराखाल रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
22	श्री लक्ष्मी दत्त बमोला स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0मा0वि0 चौरियाभरदार रूद्र0	रूद्रप्रयाग
23	श्री सर्वजीत सिंह स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 बाड़ा रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
24	श्री ओमप्रकाश स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 फाटा रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
25	श्री सुरेन्द्र सिंह खत्री स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 रामाश्रम रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
26	श्री परमेन्द्र कुमार स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 चमकोट रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
27	श्री सतीश चन्द्र स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 नागराजाधार कड़ाकोट टिहरी	टिहरी गढ़वाल
28	श्री विपुल कुमार स0अ0	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 नौलबासर टिहरी	टिहरी गढ़वाल
29	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	विज्ञान / गणित	रा0इ0का0 रौणद टिहरी	टिहरी गढ़वाल

1	2	3	4	5
30	श्री गणेश प्रसाद डिमरी स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 खोला, टिहरी	टिहरी गढ़वाल
31	श्री कुंज बिहारी सकलानी स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 मंजकोट टिहरी	टिहरी गढ़वाल
32	श्री शिवकुमार स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 थापला ओण टिहरी	टिहरी गढ़वाल
33	श्री रज्जू प्रसाद स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 बौन उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
34	श्री लक्ष्मण दास स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 क्वांएटहाली, उ0काशी	उत्तरकाशी
35	श्री रघुराज कुमार मौर्य स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 खराली उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
36	श्री सुकेतु चन्द्र स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 आराकोट उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
37	श्री पंकज पुष्प रावत स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 अस्कोट उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
38	श्री अरूण थपलियाल स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 बैसोगिलानी देहरादून	देहरादून
39	श्री विनोद लाल साह स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 भगवानपुर धारकोट, देहरादून	देहरादून
40	श्री पदमेन्द्र सिंह स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0इ0का0 चिल्हाड़ देहरादून	देहरादून
41	श्री सोमपाल सिंह स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 कुन्नाडागुरा, देहरादून	देहरादून
42	श्री भगवती प्रसाद स0अ0	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 भगद्वारीखाल देहरादून	देहरादून
43	श्री चन्द्रमोहन	विज्ञान/गणित	रा0उ0मा0वि0 बुल्हाड़ देहरादून	देहरादून।

(मोहन सिंह नेगी)
संयुक्त निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–14 पर)

संख्या 147 XXIV–2/2006

प्रेषक,

डी0के0कोटिया,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,

विद्यालयी शिक्षा,

मयूर बिहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 07 मार्च, 2006

विषयः– शिक्षा बन्धुओं की तदर्थ नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:प्रबन्ध–1/शिक्षा बन्धु/58211/2005–06 दिनांक 8–2–2006, पत्रांक:प्रबन्ध–1/शिक्षा बन्धु/58820/2005–06 दिनांक 14–2–2006 एवं पत्रांक:प्रबन्ध–1/शिक्षा बन्धु/59679/2005–06 दिनांक 18–2–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–1071/XXIV –2/2005 दिनांक 7–10–2005 के अनुक्रम में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत 33 शिक्षा बन्धुओं जिनके स्नातक स्तर पर विषय संयोजन नहीं है को विषय संयोजन एवं अधिकतम आयु सीमा तथा 26 अंशकालिक शिक्षा बन्धुओं की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदों पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2–उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1274/XXIV –2/2005 दिनांक 5–12–2005 के अनुक्रम में प्रवक्ता सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत 115 अंशकालिक शिक्षा बन्धुओं को प्रवक्ता पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

शासनादेश संख्या–1071/XXIV –2/2005 दिनांक 7–10–2005 एवं शासनादेश संख्या–1274/XXIV –2/2005 दिनांक 5–12–2005 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

(डी0के0कोटिया)

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा/202–28–08–2012–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)